



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012020-215076
CG-DL-E-02012020-215076

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2020/पौष 11, 1941

No. 04]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2020/ PAUSHA 11, 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

का.आ. 04(अ).—केन्द्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित संसद सदस्य को एतद्वारा नामित करती है:

डा. अमर पटनायक, संसद सदस्य - राज्य सभा

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा.सं. जेड-28016/143/2018-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2019

S.O. 04(E).—In exercise of the power conferred by Section 4 (g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012

(37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following Member of Parliament as member of the Institute Body of the All India Institute of Medical Sciences, **Bhubaneswar** :

Dr. Amar Patnaik, Member of Parliament, Rajya Sabha

The term of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 .

[F. No. Z-28016/143/2018-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.